



समक्ष—: माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रक्र०—: /18 निगरानी

III निगरानी/श्यापुर/भू.नं/2018/2019

सीताराम पुत्र उँकार धाकड जाति धाकड
निवासी ग्राम कैलोर (भोजका) तहसील
कराहल जिला श्योपुर हाल निवासी
बडोदा जिला श्योपुर म.प्र.

—निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन जयें जिला कलेक्टर श्योपुर

म.प्र. —गैर निगरानीकर्ता

डकटा अर्जुन का
26-3-18
18-4-18
26-3-18

26-3-18
निगरानीकर्ता
ग्वालियर

निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर
(म.प्र.) के प्रक्र० 03/2007-08 स्व० निगरानी अपर
कलेक्टर म.प्र. शासन बनाम अर्जुन आदि मे पारित आदेश
दिनांक 30-01-2018 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू
राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से समयावधि अन्तर्गत निम्नांकित
निगरानी प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य — इस प्रकार है

- 1 यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय श्योपुर ने एक शिकायती
आवेदन पर से ग्राम कैलार (भोजका) तहसील कराहल जिला श्योपुर की
भूमि जो निगरानीकर्ता के पिता उँकार पुत्र धांसी धाकड निवासी करका
के नाम भूमि सर्वे क० 1007 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा, एवं सर्वे कमांक
1008 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा कुल रकबा 9 बीघा 19 विस्वा भूमि का
मध्य भारत भूदान यज्ञ परिषद द्वारा दिनांक 19-04-1966 को पट्टा

26/3/18
Am

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2018/2019

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाओं आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 03/2007-08/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30/01/18 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u></p>	

m


सदस्य